न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 54/21 (वि.प्रा.पत्र)

GCMS No: 2021/489

1. श्री गांगा पिता माना मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
2. श्री जीवन पिता माना मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
3. श्री कमला पिता माना मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
4. श्री चतरा पिता माना मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
5. श्री नाराण पिता राया मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
6. श्री केसा पिता राया मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर
7. श्री नवला पिता नाया मीणा निवासी राणीडूंगला तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर

...........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 27.06.2022

1. प्रार्थीद्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राणीडूंगला, पटवार हल्का धावड़िया, भू–अभिलेख निरीक्षक कुंथवास, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के खातेदारी परिशिष्ठ (क) खाता संख्या 48 आराजी नम्बर 26, 65, 168, 169, 170, 171, 172, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 327, 328, 336 कुल किता 16 कुल रकबा 37 बीघा 7 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गांगा, जीवन, कमला, चतरा, एज[illegible] माना 1/3, नारायण, केशा, नाथीबाई पिता राया, कमली बाई बेव[illegible]/3, नवल[illegible] नाया 1/3 रावत दर्ज है। परिशिष्ठ (ख) खाता संख्या 47 आराजी नम्बर 338 रक[illegible]2 बिस्वा आराजीयात [illegible] जीवन, कमल, चतरा, एजकी पिता माना 1/12, नारायण, केशा, नाथीबाई पिता राया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कमली बाई बेवा राया 1/12, नवला पिता नाया 1/12 दर्ज रेकर्ड है। ताईद में जमाबंदी पेश हैं।

2. यह कि उक्त कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क), (ख) में वर्णित भूमि में प्रार्थीगणों की जाति रावत गलत दर्ज हैं जबकि प्रार्थीगणों की जाति रावत नहीं होकर मीणा हैं और प्रार्थीगण को मीणा जाति से ही जाना पहचाना जाता है। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है।

3. यह कि प्रार्थीगण के कलम नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के अतिरिक्त मौजा राणीडूंगला पटवार क्षेत्र धावडिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुंथवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर में अन्य भी आराजीयात् स्थित हैं जिनमें प्रार्थीगणों की वास्तविक जाति मीणा अंकित है। जिनके आराजी नम्बर 161/1 रकबा 10 बीघा, आराजी नम्बर 233/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 243/4 रकबा 15 बीघा, आराजी नम्बर 240/1 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 274/12 रकबा 3 बीघा स्थित हैं, जिनमें प्रार्थीगणों की जाति मीणा अंकित है।

4. यह कि कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क), (ख) में वर्णित आराजीयात पूर्व में संवत् 2024 से 2028 की खेवट खतौनी की जमाबन्दी में उक्त भूमि में प्रार्थी की जाति मीणा ही अंकित थी जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। परन्तु बाद में सेहवन से राजस्व कर्मियों द्वारा प्रार्थीगणों की जाति रावत अंकित कर दी, जबकि हम प्रार्थीगण के मौरूस भी मीणा जाति के ही थे और मीणा जाति का ही उपयोग करते थे और मीणा जाति से ही उनको जाना पहचाना जाता हैं और प्रार्थीगण भी मीणा जाति के हैं।

5. यह कि प्रार्थीगण मीणा जाति के हैं तथा वक्त सेटलमेंट से कलम नम्बर 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगणों के पूर्वाधिकारियों के नाम मीणा जाति से ही अंकित हैं ऐसी स्थिति में कलम नम्बर 1 के परिशिष्ठ (क), (ख) में वर्णित भूमि में रावत जाति के स्थान पर मीणा जाति अंकित कराये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:15 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 14/03/2019 को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने के बाद जब पटवारी हल्का धावडिया से जाति संशोधन हेतु

Scanned by CamScanner

निवेदन किया गया तो विपक्षी ने सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही कराये जाने हेतु कहा जिससे माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गयसा। प्रकरण मे न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट मंगवाई गई। जो इस प्रकार है :–

i. बिन्दु संख्या 1 रिकार्ड से सम्बन्धित हैं।

ii. बिन्दु संख्या 2 प्रार्थी से सम्बन्धित हैं।

iii. बिन्दु संख्या 3 रिकार्ड से सम्बन्धित हैं ओर प्रार्थी स्वयं साबित करे।

iv. बिन्दु संख्या 4 प्रार्थी स्वयं साबित करें। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 189 जाति परिवर्तन से प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के नयायालय आदेश से अंकित हुआ है, जिसकी प्रति संलग्न है।

v. बिन्दु संख्या 5 प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से नहीं होकर न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 08.04.2002 से जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी।

vi. बिन्दु सं. 6 प्रार्थी से सम्बन्धित है स्वयं साबित करे।

vii. बिन्दु सं. 7 प्रार्थी से सम्बन्धित है।

viii. बिन्दु सं. 8 व 9 प्रार्थी से सम्बन्धित है।

अन्य बिन्दु न्यायालय से सम्बन्धित है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेंज का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुना। बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया की प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में परिशिष्ठ (क) व (ख) में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण अपनी जाति रावत गलत दर्ज होने से जाति रावत के बजाय मीणा अंकित किये जाने [illegible] किया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया [illegible] नामान्तरण संख्या 189 जाति परिवर्तन से सहायक भू–प्रबंध [illegible] के आदेश से अंकित हुआ हैं। प्रार्थी की जाति मीणा से रावत सहवन से न[illegible] होकर न्यायालय सहायक भू–प्रबंध अधिकारी उदयपुर के आदेश क्रमांक 124 दिनांक 08.04.2002 से जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज करने की स्वीकृति हुई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

27/6/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:45:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner